

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कैलाश पुत्र भूरा दरोगा निवासी टीटोडा जागीर, शंकरलाल पुत्र भूरा दरोगा निवासी टीटोडा जागीर वगै.

बनाम

कैलाश पुत्र हजारी लुहार जाति लुहार निवासी खेरूणा, दुर्गालाल पुत्र हजारी जाति लुहार निवासी खेरूणा, विनोद पुत्र हजारी लुहार जाति लुहार निवासी खेरूणा, गोपाल पुत्र खाना कंजर जाति कंजर निवासी खेरूणा, फुलचन्द्र पुत्र खाना कंजर जाति कंजर निवासी खेरूणा वगैरह

मुकदमा नंबर 369/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
20/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम खेरूणा प.ह. टीटोडा आराजी सं. 10/12 कुल किता 01 रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम खेरूणा प.ह. टीटोडा आराजी सं. 1011/12 कुल किता 01 रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 20/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

जहाजपुर अधिकारी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/369/2024

दिनांक- 20/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 369/2024 अनवान कैलाश पुत्र भूरा दरोगा निवासी टीटोडा जागीर, शंकरलाल पुत्र भूरा दरोगा निवासी टीटोडा जागीर बनाम कैलाश पुत्र हजारी लुहार जाति लुहार निवासी खेरूणा, दुर्गालाल पुत्र हजारी जाति लुहार निवासी खेरूणा, विनोद पुत्र हजारी लुहार जाति लुहार निवासी खेरूणा, गोपाल पुत्र खाना कंजर जाति कंजर निवासी खेरूणा, फुलचन्द्र पुत्र खाना कंजर जाति कंजर निवासी खेरूणा वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम खेरूणा प.ह. टीटोडा आराजी सं. 1011/12 कुल किता 01 रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा